दिल्ली विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बारहवाँ प्रतिवेदन

§26 अगस्त, 1997 को प्रस्तुत§

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS & RESOLUTIONS

TWELFTH REPORT

(Presented on 26th August, 1997)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति
का प्रतिवेदन

(बारहवां प्रतिवेदन)

(26.8.1997 को प्रस्तुत)

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोयल, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री वासदेव कप्तान	सदस्य
3.	श्री दर्शन कुमार बहल	सदस्य
4.	श्री राम पाल	सदस्य
5.	श्री जग प्रवेश चन्द्र	सदस्य
6.	डा. ए. के. वालिया	सदस्य
7.	श्री सूरज प्रसाद पालीवाल	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी. एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस. के. शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री वी. के. भटनागर	संयुक्त सचिव
4.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	समिति अधिकारी
5.	श्री के. एल. कोहली	समिति अधिकारी

आगामी सत्र में लिये जाने वाले संकल्पों के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि दो संकल्प, जिन्हें पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हुई थी, लम्बित हैं । इसके अतिरिक्त 03 नये संकल्पों को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ है । इन सभी पांच संकल्पों को शुक्रवार, 29 अगस्त, 1997 को होने वाली बैठक की कार्य सूची में लगाया जायेगा ।

समिति ने सभी पांच संकल्पों के लिये निम्नानुसार समय का आबंटन करने का निर्णय लिया :-

क्र·सं·	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	आबंटितसमय
1·	श्री ओ·पी·बब्बर	यह सदन सिफारिश करता है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में सड़कों, पथ-प्रकाश, पानी और सीवर इत्यादि की व्यवस्था दिल्ली नगर निगम द्वारा तुरन्त की जाये ।	30 मिनट
2·	डा·ए·के·वालिया	यह सदन संकल्प करता है कि यमुना क्रीड़ा परिसर, पूर्वी दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाये ।	30 मिनट
3·	श्री दीप चन्द बन्धु	यह सदन सिफारिश करता है कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को "एन·ओ·सी·" प्रदान कर वहां पर सभी जन-सुविधाएं दी जाएं तथा वहां के निवासियों की जनसंख्या के अनुपात में वहां पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये ।	30 मिनट
4·	श्री मुकेश शर्मा	यह सदन संकल्प करता है कि 31 मार्च, 1993 से पूर्व बसी राजधानी की सभी अनधिकृत कालोनियों को बिजली की कनैक्शन दिये जाये ।	30 मिनट
5·	प्रो·पी·के·चांदला	यह सदन संकल्प करता है कि सांविधिक बिक्री कर की वसूली और उसे बिक्री कर विभाग में जमा कराये बगैर दिल्ली में लाटरी की बिक्री की अनुमति न दी जाये ।	30 मिनट

विधेयकों की स्थिति के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि सभी चार विधेयक, जो कि सदन में पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं, लम्बित हैं । इनमें से दो विधेयक कु0पूर्णिमा सेठी द्वारा 1994 में प्रस्तुत किये गये थे । इन दो विधेयकों में से एक विधेयक यथा-**बालिका (अनिवार्य शिक्षा, पालन-पोषण एवं कल्याण) विधेयक, 1994** शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास लंबित है एवं कई अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । दूसरे विधेयक यथा-**बालश्रम (उन्मूलन, कल्याण एवं पुनर्वास) विधेयक, 1994** के बारे में माननीय उपराज्यपाल ने सरकार के इन विचारों से सहमति प्रकट की है कि इस विषय में केन्द्रीय विधान अधिक वांछनीय होगा और इसलिये उन्होंने विधेयक पर विचार करने के लिये अपनी सिफारिश नहीं की है ।

श्री आलोक कुमार द्वारा पुरःस्थापित तीसरे विधेयक यानी-**"दिल्ली कृषि पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1995** के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय ने सूचित किया है कि विधेयक पर विचार करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति की पूर्व संस्तृति प्राप्त करना आवश्यक है । श्री आलोक कुमार का दूसरा विधेयक-यानी- **भारतीय तलाक (संशोधन) विधेयक, 1995,** को, सदस्य यदि चाहे, तो विचार एवं पारण हेतु लिया जा सकता है ।

समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, 5 सितम्बर, 1997, जो कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये निर्धारित है, को यदि समय बचा तो, 29 अगस्त, 1997 के बाकी बचे संकल्पों को निपटान के लिये सूचीबद्ध किया जा सकता है ।

समिति ने **श्री जग प्रवेश चन्द्र** एवं उनकी अनुपस्थिति में **श्री वासदेव कप्तान** को सदन में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

(चरती लाल गोयल)
सभापति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों
एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति

DELHI VIDHAN SABHA SACHIVALAYA

REPORT BY COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

(TWELFTH REPORT)

(PRESENTED ON 26.08.1997)

CONSTITUTION OF COMMITTEE

1.	Shri Charti Lal Goel Hon'ble Speaker	Chairman
2.	Shri Vasdev Kaptan	Member
3.	Shri Darshan Kumar Bahl	Member
4.	Shri Ram Pal	Member
5.	Shri Jag Parvesh Chandra	Member
6.	Dr. A.K. Walia	Member
7.	Shri Suraj Prasad Paliwal	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Joint Secretary
3.	Shri V.K. Bhatnagar	Joint Secretary
4.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer
5.	Shri K.L. Kohli	Committee Officer

As regards resolutions to be taken up in the ensuing Session, the Committee was informed that two resolutions which were moved in the previous session but could not be debated, were pending. In addition, three new resolutions have found place in the balloting. All these five resolutions will be put in the list of business of Friday, the 29th August, 1997.

The Committee decided to allocate time for all the five resolutions as follows :-

Sl.No.	Name of Member	Text of Resolution	Time allocated
1.	Sh. O.P. Babbar	This House recommends that the roads, street lights, water, sewer, etc. in Group Housing Societies be maintained by MCD with immediate effect.	30 minutes

Contd..2/-.

Sl.No.	Name of Members	Text of Resolution	Time allocated
2.	Dr. A.K. Walia	This House resolves that a Cricket Stadium of international standard be constructed in Yamuna Sports Complex, East Delhi.	30 minutes
3.	Shri Deep Chand Bhandu	This House recommends that by granting NOC to un-authorised Colonies in Delhi, all civic amenities be extended to them and the strength of Safai Karamcharies deployed in these Colonies should be in proportion to the population residing therein.	30 minutes
4.	Shri Mukesh Sharma	This House resolves that all Unauthorised Colonies of Delhi which came into being prior to 31st March, 1993 be provided with electric connections.	30 minutes
5.	Prof. P.K. Chandla	This House resolves that without charging statutory Sales Tax & depositing the same with the Sales Tax Department, no sale of Lotteries should be per-mitted in Delhi.	30 minutes

Regarding the position of bills, the Committee was informed that in all four bills - all of which have already been introduced - are pending. Two of these Bills were moved by Km. Purnima Sethi

Contdd..3/-..

as early as in 1994. One of these two Bills viz- The Girl Child (Compulsory Education, Upbrining and Welfare) Bill, 1994, is pending with the Education and Health Department and no reply has been received despite several reminders. About the second Bill viz. The Child Labour (Abolition, Welfare and Rehabilitation) Bill, 1994, Hon'ble Lt. Governor has concurred with the views of the Government that a central legislation on the subject would be more desirable and he has thus not given his recommendation for consideration of the Bill.

In respect of third Bill viz. The Delhi Agricultural Cattle Preservation (Amendment) Bill, 1995, introduced by Shri Alok Kumar, the Chief Minister's office has intimated that prior recommendation of the President of India needs to be obtained first before the Bill is considered. Another Bill by Shri Alok Kumar viz. The Indian Divorce (Amendment) Bill, 1995 can be taken up for consideration and passing, if the member so desires.

The Committee decided that on Friday, the 5th September, 1997, which is earmarked for Private Members' Bills, if the time permits, the left over resolutions of 29th August, 1997, may be listed for disposal.

The Committee authorised Shri Jag Parvesh Chandra and in his absence Shri Vasdev Kaptan to present the Report of the Committee to the House.

(CHARTI LAL GOEL)
CHAIRMAN,
Committee on Private Members'
Bills & Resolutions